# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी :— श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
अपील सं0 19/16
निर्णय दिनांक :— 08.06.2018

1. मदनलाल दत्तक पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर नि0 भोगलियो का मोहल्ला नरेना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

अपीलान्ट

बनाम

1. मनफूलीदेवी पत्नि भंवरलाल
2. बदामदेवी पुत्री भंवरलाल
   समस्त जाति गुर्जर नि0 भोगलियो का मोहल्ला नरेना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
3. सरंपच ग्राम पंचायत नरेना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

रेस्पोडेन्टस

<u>अपील विरूद्व नामान्तकरण सं0 4110 दिनांक 20.02.14</u>
<u>ग्राम पंचायत नरेना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0</u>

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि खाता सं0 510 की आराजी खनं0 3185, 3186, 387, 3188, 3189, 3190, 3191 किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 11 विस्वा वाकै ग्राम नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो भंवरलाल पुत्र बिरदाराम गुर्जर की छोड़ी हुयी कब्जें, काश्त व खातेदारी की आराजी है वादी मृतक भंवरलाल का दत्तक पुत्र एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 पत्नि व रेस्पोडेन्ट सं0 2 पुत्री है इस प्रकार मृतक भंवरलाल के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 वारिस होने के कारण उसकी छोड़ी हुयी आराजी में समान भाग के अधिकारी है व फौती नामान्तकरण तीनों के नाम खुलना चाहिये किन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने बसाज अपने अकेलों के नाम नामान्तकरण सं0 4110 दिनांक 18.02.14 को पटवारी से भरवा लिया जिसे ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.02.14 को तस्दीक कर दिया जिसकी

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

जानकरी अपीलान्ट को दिनांक 03.09.14 को जब पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने गया तब हुयी इस पर नामान्तकरण की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त कर यह अपील मान्य न्यायालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक हुयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यार्थी को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से वकील श्री असरार उस्मानी ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट सं0 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाती है। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प नरायना में पेश हुयी। मजमेंआम में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी की गयी एवं वर्तमान जमाबन्दी पटवारी हल्का से ली जाकर शामिल पत्रावली की गयी। पत्रावली के अवलोकन व मजमेंआम में प्राप्त जानकारी के अनुसार अपीलान्ट ने दत्तक पुत्र होने का किसी प्रकार का रजिस्टर्ड गोदनामा पेश नहीं किया है एवं गोद जाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज आदि पेश नहीं किये है जिससे कि यह सिद्व हो सके कि अपीलान्ट गोद गया हो साथ ही प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी के अवलोकन से उक्त वादग्रस्त आराजी अन्य खातेदारों के नाम विक्रय होकर रिकोर्ड में दर्ज हो चुकी है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

## निर्णय

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को खुले न्यायालय मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner